



थाना नहतौर क्षेत्रान्तर्गत हुई युवक की हत्या का अनावरण, अभियुक्त बीर सिंह

उर्फ भोलू तथा संजीव गिरफ्तार।

दिनांक 21.09.2021 को अनिल सैनी उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र होशराम सैनी नि० ग्राम उमरी डवासोवाला थाना किरतपुर



जनपद बिजनौर का शव थाना नहतौर क्षेत्रान्तर्गत गांव गिलाडा से करीब 500 मीटर दूर ईख में वेदप्रकाश के खेत से बरामद हुआ था। स्थानीय पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक के भाई अंकुल की तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 275/21 धारा - 302/201 भादवि बनाम 1.बीर सिंह उर्फ भोलू पुत्र शिवदत्त सिंह नि०ग्रा० उमरी डवासोवाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर तथा 2.संजीव कुमार पुत्र जगराम सिंह नि० ग्रा० अलावलपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।

मेरे द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु स्वॉट टीम/थाना नहतौर पुलिस को निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी धामपुर के कुशल निर्देशन में स्वॉट टीम/थाना नहतौर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 24.09.2021 को समय करीब 06.20 बजे अभि०गण 1.बीर सिंह उर्फ भोलू 2.संजीव कुमार उपरोक्त को ऑक्सफोर्स स्कूल चौराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर मृतक की मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन बरामद किया गया। अभियोग में धारा 404 भादवि की वृद्धि की गयी।

पूछताछ का विवरण- अभि०गण द्वारा पूछताछ पर बताया कि वह साथ में रहकर रंगाई-पुताई का कार्य करते है। मृतक अनिल सैनी उपरोक्त अभि० बीर सिंह उपरोक्त की बहन से चोरी-छिपे फोन पर बात करता था तथा परिजनों की गैर-मौजूदगी में चोरी-छिपे उनके घर पर उससे मिलने भी आता था। कई बार समझाने पर भी मृतक अनिल द्वारा बात करना तथा मिलना-जुलना नहीं छोडा। सामाजिक बदनामी से बचने के लिये अभि० बीर सिंह द्वारा अपने साथी संजीव के साथ मिलकर अनिल उपरोक्त को ठिकाने लगाने की योजना बनायी।

दिनांक 19.09.2021 को अनिल सैनी अपनी मोटरसाइकिल से नहतौर जा रहा था, मौका पाकर वे दोनो भी अनिल सैनी के साथ दावत-पानी का बहाना बनाकर उसके साथ चल दिये। इसके उपरान्त तीनों ने जंगल में साथ बैठकर शराब पी, अनिल को अधिक नशा होने के उपरान्त उसकी शराब में गेहुँ में रखने वाली सल्फॉस (जहरीली गोली) मिला दी जिसको पीने के बाद वह थोड़ी देर बाद छटपटाकर मर गया। इसके बाद अभि० बीर सिंह उर्फ भोलू तथा संजीव उपरोक्त मृतक अनिल का मोबाइल फोन तथा मोटरसाइकिल स्पलैन्डर रजि नं० UP20BS6511 लेकर वहाँ से भाग गये तथा किरतपुर रोड पर रजवाहे के पास घनी झाडियों में छिपा दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.बीर सिंह उर्फ भोलू पुत्र शिवदत्त सिंह नि०ग्रा० उमरी डवासोवाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.संजीव कुमार पुत्र जगराम सिंह नि० ग्रा० अलावलपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण:-

- 1.मृतक की मोटरसाइकिल स्पलैन्डर रजि०नं० UP20BS6511
- 2.मृतक का मोबाइल फोन इनफिनिक्स

स्वॉट टीम:-

- 1.निरीक्षक श्री नरेश कुमार
- 2.उ०नि० श्री जर्जर हुसैन
- 3.कां० 1002 खालिद
- 4.कां० बेताब जावला
5. कां० रईस अहमद

गिरफ्तार करने वाली टीम थाना नहतौर:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री लव सिरोही
- 2.व०उ०नि० श्री अनुज कुमार तोमर
- 3.उ०नि० श्री संजीव कुमार
- 4.कां० 362 रवि कुमार
- 5.रि०कां० 1577 सौरभ खारी

थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रूपेंद्र दत्त पुत्र शिवदत्त प्रेमी निवासी मोहल्ला चौधरियन कस्बा थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को वाद संख्या 884 /16 धारा 138 एन आई एक्ट पीएस धामपुर में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना नगीना देहात:- थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकीश उर्फ काले पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम टांडा माई दास थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । जिसके संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 276 / 21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना शेरकोट:- थाना शेरकोट पुलिस द्वारा क नफर अभियुक्त राजू पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी मोहल्ला खुराडा कस्बा व थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया । जिस सम्बन्ध में थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 196/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



थाना स्योहारा:- थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभियुक्त शहजाद खान पुत्र शमशाद निवासी ग्राम खेड़का थाना स्योहारा जिला बिजनौर के अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



थाना शिवाला कला:- थाना शिवाला कलां पुलिस द्वारा अभियुक्त 1- विशाल पुत्र महेंद्र ग्राम बरखेड़ा सादात थाना नौगांवा जनपद अमरोहा 2- प्रदुमन कुमार पुत्र तेजपाल सिंह ग्राम कैमरी थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर 3- तेजपाल सिंह पुत्र कन्हैया सिंह ग्राम कैमरी थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर 4- परविंदर पुत्र नत्थू सिंह ग्राम धारूपुर थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर 5- दिनेश उर्फ नीतू पुत्र बल करण ग्राम फीना थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।



मिशन शक्ति अभियान फेस-03



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना धामपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र में महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय धर्मनगरी में बालिकाओं/छात्राओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा ग्राम परमावाला में आंगनवाडी केन्द्रों में महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र में महिलाओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।



मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाये जा रहे अभियान मिशन शक्ति फेस-03 के अन्तर्गत को थाना रेहडं पुलिस द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में बालिकाओं/छात्राओं को जागरूक किया गया तथा हैल्पलाईन नम्बर 102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090 की जानकारी दी गयी। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कालेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

